



2026:AHC:56280

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2110 सन् 2026

श्रीमती हरवंश कौर

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता : संजय सिंह

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, श्री संजय सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मामला संख्या 898 सन् 2009, भारतीय दंड संहिता की धारायें 147, 148, 149, 307, 353, 332, 427, 224, 225, 186, 189 और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 60(2) के अन्तर्गत, थाना बिलासपुर, जिला रामपुर, में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और आवेदक को मामले की कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी। और कथित घटना के समय आवेदक की आयु लगभग 17 वर्ष थी और उसके बाद उसकी शादी हो गई और वह उत्तराखंड चली गई। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक को कभी भी कोई समन या जमानती वारंट या गैर-जमानती वारंट तामील नहीं किया गया है और अब उसके विरुद्ध उद्घोषणा की प्रक्रिया जारी की गई है और आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देती है और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वह उपस्थित होगी। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और अन्वेषण में सहयोग करेगी और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगी।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अवैध शराब की कुछ मात्रा बरामद की गई थी और जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तो आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, यद्यपि, पुलिसकर्मियों की कोई भी चोट गंभीर या जानलेवा नहीं पाई गई है। इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और आवेदिका को कभी भी कोई समन या जमानती वारंट या गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया गया और अब उसके विरुद्ध उद्घोषणा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवेदिका विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदिका की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदिका-श्रीमती हरवंश कौर की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदिका साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे उसे/उसकी/उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदिका विचारण के दौरान सहयोग करेगी और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

(iv) आवेदिका संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा)

19 मार्च, 2026

आरकेएम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"